

40-08/क्र०-10/दि०. 09-04-18

DRC (LS)

6/1/18

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद्
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3
संख्या- 180 /XVIII(3)2018/10(2)2015,
देहरादून, दिनांक: 16 मार्च, 2018

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड की भू-अर्जन अमीन (राजस्व विभाग) की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक
सेवा नियमावली, 2018

भाग-1-सामान्य

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

सेवा की प्रास्थिति

परिभाषाएं

श्री मुख्य
तत्कालीन वती
रा.क्र. 10/18
9/4/18

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (राजस्व विभाग)/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक अमीन सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:-
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से संबंधित जिले के कलक्टर अभिप्रेत है;
 - (ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग-11 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाए;
 - (ग) "आयोग" से "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" अभिप्रेत है;
 - (घ) "संविधान" से भारत का "संविधान" अभिप्रेत है;
 - (ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
 - (च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
 - (छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस

नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड राजस्व भूमि अर्जन अमीन / भूमि अध्याप्ति निरीक्षक सेवा अभिप्रेत है;
- (झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेंडर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2— संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा के सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है;

परन्तु कि :-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार स्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

भाग-3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. भूमि अर्जन अमीन / भूमि अध्याप्ति निरीक्षक के पद पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी:-
- (1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से;
- (2) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त चैनमैन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से हाई स्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा

का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4-अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी-
- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजनिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही, नामंजूर किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. सेवा में विभिन्न श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:—

पद
भूमि अर्जन अमीन/
भूमि अध्याप्ति निरीक्षक

अर्हता
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिन्होंने लेखपाल के पद के लिये विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

अधिमाननी अर्हता

9. अभ्यर्थी जिसने—

- (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
- (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
- (3) अनिवार्य/वांछनीय अर्हता— अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिस वर्ष रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान करेगा।

टिप्पणी—

संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के

पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12.

पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

13.

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

उक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु उत्तराखण्ड राज्य के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों (पी.डी.-आंशिक बधिर) को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

भाग 5-भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14.

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को अधिसूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1)

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क सहित सीधी भर्ती के लिये आवेदन पत्र का प्ररूप, आयोग द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $1/4$ ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.uk.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित की जायेगी;

परन्तु उपबन्ध यह है कि ऐसे पद, जिनके लिये कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिये विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन समय-समय पर यथासंशोधित लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों के लिये नियमावली, 2012 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
- (3) चयन समिति चयन उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है

पदोन्नति द्वारा
भर्ती की प्रक्रिया

एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी जो सम्बन्धित को अपेक्षित संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेजेगा।

संयुक्त चयन सूची

17.

यदि किसी वर्ष सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग-6 नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1)

उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2)

यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न की गयी हों।

(3)

यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4)

नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकेगा। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकेगा, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;
- परन्तु यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

20. किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने—
- (क) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;
- (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
- (ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो; तथा
- (घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

शुद्धता

21. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा।

भाग-7 वेतन आदि।

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के
दौरान वेतन

23. (1) वित्तीय नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

- (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारक रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत वित्तीय नियमों द्वारा विनियमित होगा;


परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

- (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8—अन्य प्राविधान

- समर्थन 24. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवको पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
- सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण 26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो इस मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा सम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।
- व्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,



(हरबंस सिंह चुघ)


प्रभारी सचिव।

परिशिष्ट-क

भू-अर्जन निरीक्षक (भू-अर्जन अमीन) के पदों की जनपदवार संख्या
(नियम- 4 (2) व 22 (2) देखिये),

<u>पद नाम</u>	<u>वेतनमान</u>	<u>ग्रेड-पे</u>
भूमि अर्जन अमीन/ भूमि अध्याप्ति निरीक्षक	रु० 5200-20200	रु० 2000/-

<u>जनपद का नाम</u>	<u>पदों की संख्या</u> <u>स्थायी/अस्थायी</u>
(क) देहरादून	08
(ख) टिहरी गढ़वाल	08
(ग) नैनीताल	07
(घ) अल्मोड़ा	05
(ङ) हरिद्वार	07
(च) पौड़ी	07
योग	42 (कुल पद बयालिस मात्र)



 (हरबंस सिंह चुघ)
 प्रभारी सचिव।

संख्या- 180/XVIII(3)2018/10(2)2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव-मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं अल्मोड़ा।
5. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को नियमावली के अंग्रेजी अनुवाद सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं मुद्रित नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी की 50-50 प्रतियां राजस्व अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(चन्दन सिंह रावत)
उप सचिव।